

RS-500/- x 08 = RS-4000/-
RS-100/- x 01 = RS-100/-
RS-20/- x 01 = RS-20/-
RS-02/- x 04 = RS-08/-

RS-4128/-

कोषागार प्रपत्र 209(ए)(संशोधित)
ट्रेजरी कोड-5000

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड संख्या-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या -43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

(कर्ज एवं अग्रिम की अदाएगी प्रपत्र संख्या-43 ए(2) द्वारा जमा की जायेगी)

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा :- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-गोण्डा।
- 1 जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम :- श्रीमती पूजा सिंह,
प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा।
- 2 पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) :-
- 3 जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) :- राजकीय वाहन संख्या-UP43G 0233 का माह दिसम्बर 2023 में दिनांक 31-12-2023 तक अनुमन्य सीमा से 1376 किमी० अधिक निजी प्रयोग हेतु संचालित किये जाने पर रुपये 3.00 प्रति किलोमीटर की दर से GVR का भुगतान।
- 4 जमा की जा रही धनराशि :- रुपये 4128.00
- 5 लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/मुहर :- 0070-60-800-05-00
- 6 लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखाशीर्षक	उपमुख्य शीर्षक	लघुशीर्षक	उपशीर्षक	व्यौरवार शीर्षक	धनराशि अंको में
0 0 7 0	6 0	8 0 0	0 5	0 0	4128.00

धनराशि (शब्दों में) - रुपये चार हजार एक सौ अट्ठाइस मात्र योग :- 4128.00

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

केंद्रीय नाज़िर
जनपद न्यायालय
गोण्डा
02-11-2024

जमाकर्ता के नाम व हस्ताक्षर
H S J J Gondra

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या

दिनांक

अंको में रु०

शब्दों में रु०

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर



उपकोषागार/बैंक की मुहर